त्र वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा माफिक राजीनामा / सहमति की भावना नुसार बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर वाद को अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 695 में वादी नश्याम दत्तक पुत्र दुर्गाराम को खातेदार घोषित किया जाता है।

1. वादी धनश्याम दत्तक पुत्र दुर्गाराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 695 रकबा 3.3913 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम मुतदाविया खेताय में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024...... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी र सरे इजलास सुनाया गया।

12/11/2024
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner